

पञ्जाबली डाक कोर्ट इन्डपुरा में पेश हुई।
पञ्जाबली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिपोर्ट
1918-19 के अनुसार आम बकाया के अतिरिक्त
418, 420 किला - 2 कुल रकम 4-83 ही को
वादी एवं प्रतिवादीगत खातेदार दर्ज रिपोर्ट है
इसका कार्रवाई अतिरिक्त खातेदारी अतिरिक्त
तथा अतिरिक्त विधिवत विभाजन नहीं हो रहा है
धारा 133 के प्रावधान अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगत
आपने इसके भी अतिरिक्त विधिवत विभाजन
करवाने को आवेकारी है।

आदेश

बाद पत्र स्वीकार किया जा रहा है तथा प्राथमिक
डिप्टी इस आधार की ही जाती है कि आम बकाया
के अतिरिक्त 418, 420 किला - 2 कुल रकम 4-83 ही
अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगत के मध्य राजस्व
रिपोर्ट में दर्ज हिस्सा एवं लब्धा अनुसार रास्ता
का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन
किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। अगर उक्त
कार्रवाई अतिरिक्त में पूर्व में ही रास्ता मंजूर है तो
इसे प्रस्ताव में लिया जावे। लक्ष्मण लक्ष्मीलाल
उदयपुरवादी उग्रम पञ्जाबलाराम की उपास्थिति में
विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मध्य नक्शा
के दो प्रतिमा में न्यायालय दफ्तर में प्रस्तुत करें।
डिप्टी पञ्जाबली हो।

पञ्जाबली कोर्टल अतिरिक्त 24-5-18 को कोर्टल
हो तथा बाद लक्ष्मीलाल दारिद्र्य दफ्तर हो।

अतिरिक्त डाक डिप्टी 24-5-18 को कोर्टल
इन्डपुरा में सुकामा गया।